



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08042022-234974
CG-DL-E-08042022-234974

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1596]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 7, 2022/चैत्र 17, 1944

No. 1596]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 7, 2022/CHAITRA 17, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2022

का.आ. 1679(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, उत्तराखण्ड राज्य में NH707A के कि.मी 155.100 से 164.700 मसूरी पहाड़ियों में पहुंच मार्ग सहित 2 लेन टिन्न ट्यूब राजमार्ग सुरंग का निर्माण चौड़ीकरण रखरखाव प्रबंधन और संचालन उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH707A पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	स्पैषल् लेन्ड एक्ज़िपिट् औफर्स.(एस.एल.ए.ओ.). देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH707A	उत्तराखण्ड	देहरादून	देहरादून	1 मसूरी (नगरपालिका क्षेत्र)

राजेश गुप्ता, निदेशक

S.O. 1679(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for building (widening) maintenance, management and operation of the 2 Lane Twin Tube Highway Tunnel including approaches across the Mussoorie Hills from design Km. 155.100 to Km. 164.700 of NH-707A in the State of Uttarakhand.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH707A in the State of UTTARAKHAND.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Special Land Acquisition Officer. (SLAO). Dehradun	155.1KM To 164.7KM	UTTARAKHAND	DEHRADUN	Dehradun	1	Mussoorie (Nagarpalika Area)
						2	Kyarkuli Bhatta
						3	LBSNAA (Srinagar Estate)
						4	Dhoura
						5	I.T.B.P. Center (Nagarpalika Mussoorie)
						6	Shergarhi (Gramsabha Kyarkuli Bhatta)
						7	Tundhar Gaon (Gramsabha Kyarkuli Bhatta)
						8	I.T.B.P. Band (Cart Mackenzie Estate)
						9	Gajji Band (Gramsabha Kyarkuli Bhatta)
						10	Ghananand Inter Collage (Nagarpalika Mussoorie)
						11	Kavi Niwas (Sunview Estate)
						12	Vansuwan

RAJESH GUPTA, Director